कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, के0रि0पु0बल, जम्मू सेक्टर, बनतलाब, जम्मू (जम्मू व कश्मीर)–181123

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही/जी0डी0 (पुरूष/महिला) पद पर भर्ती–2010 के लिए विज्ञापन

1 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही/(सामान्य डयूटी) पुरूष/महिला वर्ग के पदों पर भर्ती के लिए जम्मू–कश्मीर राज्य के केवल जम्मू संभाग के निवासी उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते है।

2 वेतनमान : वेतन बैन्ड–1 –वेतनमान–रू0 5200–20,200/–ग्रेड वेतन –रू0 2000/– 3 अन्य भत्ते : केन्द्रीय कर्मचारियों को समय–समय पर नियमानुसार देय ।

4 डयूटी स्थान : भारत या विदेश में किसी भी स्थान पर ।

5	श्रेणीवार रिक्तियॉ :–	
(1)जनसंख्या अनुपात के आधार पर 60 प्रतिशत :–		

पुरूष अभ्यर्थी		महिला अभ्यर्थी	
रिक्तियां	बैकलॉग रिक्तियां	रिक्तियां	बैकलॉग रिक्तियां

सामान्य	भू0पू0सैनिक	अन्य पिछड़ा वर्ग	भू0पू0सैनिक	अनुसूचित जाति	भू0पू0सैनिक	अनुसूचित जनजाति	भू0पू0सैनिक	कुल रिक्तियां	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसू[...] जनजा[...]

20	02	10	1	3	.	4	.	40	3	.	.	3	1	.	.	.	1	8	.	.	8

(2)	उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित रिक्तियां भी जम्मू–कश्मीर राज्य के जम्मू संभाग के उग्रवाद प्रभावित ईलाके से भरी जाएगी।

पुरूष अभ्यर्थी	महिला अभ्य[...]
रिक्तियां	रिक्तियां

सामान्य	भू0पू0सैनिक	अन्य पिछड़ा वग	भू0पू0सैनिक	अनुसूचित जाति	भू0पू0सैनिक	अनुसूचित जनजाति	भू0पू0सैनिक	कुल रिक्तियां	सामान्य	अन्य पिछड़ा वग	अनुसूचित जाति	अ ज	
65	7	31	4	9	1	13	1	131	2	.	.	.	2

नोटः 1 बिना कारण बताए उक्त रिक्तियों की संख्या को घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

2 यदि उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक नही मिलते है तो उन आरक्षित रिक्तियों को उसी श्रेणी में अन्य अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

6 उम्मीदवारों पर भर्ती नियुक्ति उपरान्त दिनांक 1/1/2004 से प्रभावी नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

7 प्रशिक्षित सैनिक होने के नाते भूतपूर्व सैनिको को केवल लिखित परीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षण टैस्ट देना होगा । सरकारी आदेशों के अनुसार निर्धारित शारीरिक मापदण्ड तथा शिक्षा में पूरी छूट के हकदार होगें। उपरी आयु सीमा सैनिक सेवा अवधि तथा 3 वर्ष अनुमन्य होगी। फिर भी सैनिक सेवा तथा पुनः रोजगार प्राप्त करने की अवधी का अन्तराल 24 माह से अधिक नही होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिको के लिए शारीरिक दक्षता टैस्ट की जरूरत नही है।

8 सेवारत बल के कार्मिक अपने बच्चों को अपने गृह राज्य या भर्ती के समय वे जिस राज्य में तैनात है, में से किसी भी जगह से आवेदन करा सकते है। उनके बच्वें सामान्य अभ्यर्थियों की तरह ही भर्ती प्रकिया में शामिल होगें ।

9 पात्रता शर्ते :–

(ए) उम्र :– 01/08/2010 को 18 से 23 वर्ष के बीच ।

छूट :– ऊपरी आयु सीमा में अ0जा0/अ0ज0जा0 के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये 3 वर्ष की छूट।

उपरोक्त के अलावाः–

(i) जम्मू व कश्मीर में निवास किए गए व्यक्तियों को उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय है (इस संबंध में बुकलेट के पैरा 2(ii)(बी) को देखे)।

(ii) वर्ष 1984 के दंगों एवं वर्ष 2002 में गुजरात के साम्प्रदायिक दंगों में मारे गये लोगों के बच्चों एवं आश्रितों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी (इस संबंध में बुकलेट के पैरा 2(ii)(सी) को देखे)।

(बी) शैक्षणिक योग्यता :–मान्यता प्राप्त विश्वविधालय या बोर्ड से मैट्रिक या 10 वीं पास

(सी) शारीरिक मापदण्ड :–

ऊंचाई : पुरूष – 170 से.मी. । : महिला : 157 से.मी. ।

सीना(पुरूषों के लिए): बिना फुलाए– 80 से.मी. फुलाकर – 85 से.मी. (कम से कम फूलाव 5 से.मी.आवश्यक है)

छूट :–अभ्यर्थी जो गढ़वाली, कुमाऊॅनी, गोरखा, डोगरा तथा मराठी श्रेणी में आते है तथा सिक्किम, नागालैण्ड,अरूणालच प्रदेश, मणिपुर,त्रिपुरा, मिजोरम,मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कश्मीर व लेह एवं लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों को ऊंचाई एवं छाती में नियमानुसार छूट (इस संबंध में बुकलेट के पैरा 2(iv)(बी),(सी) एवं (डी)को देखे)।

वजनः चिकित्सा मापदण्डों के अनुसार ऊंचाई तथा उम्र के अनुपात में

(डी) चिकित्सा स्तर :– बुकलेट के पैरा 2 (v)(ए) एवं (बी) के अनुसार ।

10 चयन प्रकिया :– सभी पात्र अभ्यार्थियों जिनके फार्म सही पाए जाएगें उन्हें भर्ती प्रकिया में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र भेंजे जाएगें। ऐसे पात्र अभ्यर्थियों की सूची आवेदन पत्र प्राप्त करने वाले केन्द्रों पर लगाई जाएगी।

अभ्यर्थियों को निम्नलिखित भर्ती प्रकिया से गुजरना होगा :–

ए) ऊंचाई टैस्ट

बी) दोड़

सी) पहचान शिनाख्त

डी) दस्तावेजों की जॉच

ई) शारीरिक मापतौल टैस्ट

एफ) शारीरिक दक्षता टैस्ट

जी) लिखित परीक्षा

एच) चिकित्सा परीक्षण

नोटः– पूरी चयन प्रकिया का पूर्ण विवरण बुकलेट के पैरा 3 में देखे ।

11 इच्छुक अभ्यर्थी ओ0एम0आर0 प्रपत्र पर आवेदन कर सकते है। जो निम्नलिखित डाकघरों से रूपये 40/– मात्र (केवल डाक प्रभार के तौर परं) के भुगतान पर दिंनाक 26/7/2010 से 14/8/2010 तक विस्तृत सूचना बुकलेट के साथ खरीद सकते हैः–

क0सं0	राज्य/संधशासित क्षेत्र का नाम	डाकघर का नाम जहॉ आवेदन फार्म उपलब्ध है
1	जम्मू एवं कश्मीर राज्य का जम्मू संभाग	जम्मू, कठुआ, साम्बा, रजौरी, पॅूछ, उधमपुर, रियासी, रामबन और डोडा ।

इसके अलावा सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों को आवेदन फार्म फीस के रूप में रूपये 50/–मात्र ''ई पेमेंन्ट'' के माध्यम से अपने नजदीकी डाकघर में (जहॉ ''ई पेमेंन्ट'' सुविधा उपलब्ध है) जमा करवाने होगें और ''ई पेमेंन्ट'' रसीद न0 का उल्लेख ओएमआर आवेदन प्रपत्र के निर्धारित कालम में करना होगा अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन फीस के अलावा ''ई पेमेन्ट प्रभार'' भी (जो भी लागु हो) डाक विभाग को भुगतान करना होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति तथा

भूतपुर्व सैनिकों को आवेदन फीस में भूगतान में छूट होगी। प्रत्येक ओ0एम0आर0 आवेदन प्रपत्र केवल एक बार ही

प्रयोग में लाया जा सकता है। यदि ओ0एम0आर0 आवेदन प्रपत्र को डाकघर से प्राप्त करने मे कोई दिक्कत होती है तो संबंधित डाकघर के पोस्टमास्टर से संपर्क करें। आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित लिफाफे में **दिनांक 25/08/2010 को या उससे पहले कार्यालय समय समाप्त होने से पूर्व हाथो–हाथ/स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से निम्नलिखित पते पर पहुॅच जाने चाहिए**। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों /अधूरे भरे आवेदन पत्रों को किसी भी हालत मेंं स्वीकार नहीं किया जायेगा और उन्हें प्रथम दृष्टि में ही निरस्त कर दिया जायेगा।

कम संख्या	राज्य/संघराज्य का नाम	आवेदन पत्र प्राप्त करने वाला केन्द्र
1	जम्मू कश्मीर राज्य का जम्मू संभाग	पुलिस उप महानिरीक्षक केरिपुबल, ग्रुप केन्द्र–बनतालाब पोस्ट आफिस–बनतालाब, जिला जम्मू (जम्मू व कश्मीर) पिन–181123

12. कोई भी दस्तावेज (प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण–पत्र आदि) आवेदन पत्र के साथ न भेजा जाए। जब अभ्यर्थी भर्ती प्रकिया के लिए निर्धारित स्थान/समय पर रिपोर्ट करेगा तब उसे अपने सभी प्रमाण पत्र मूल रूप से (एक अतिरिक्त सत्यापित छायप्रति के साथ) प्रस्तुत करने होंगे। बुकलेट का पैरा 8 (iii) देखें।

13 जम्मू एवं कश्मीर राज्य के जम्मू संभाग के अभ्यर्थियों को जम्मू–काश्मीर राज्य के निवासी होने के समर्थन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही भर्ती प्रकिया में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

14 अभ्यर्थियों की सहायता के लिए निम्नलिखित हैल्प लाईन नम्बरों एवं एस.एम.एस. आधारित पूछताछ सहित एक बैबसाईट उपलब्ध है :–

ए) इन्टरएक्टिव बैबसाईट– **www.crpf.gov.in-recruitment-Ct/GD 2010. or www.crpfrecruitment.org**

बी) टेलिफोन नम्बर– 0120 3800900

सी) एस0एम0एस0 नम्बर– **CRPF56767**

इसके अलावा अभ्यर्थी मार्ग निर्देशन के लिए सैक्टर कार्यालय/आवेदन प्राप्त कर्ता केन्द्र के निम्नलिखित फोन नम्बर/ ईमेल पते पर संपर्क कर सकते है:–

राज्य	सैक्टर/आवेदन पत्र प्राप्त करने वाला केन्द्र	लैंडलाईन फोन नम्बर	ई–मेल
जम्मू कश्मीर राज्य का जम्मू संभाग	कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक,केरिपुबल, जम्मू	0191.2597701	jmushqs@ crpf.gov.in
	पुलिस उपमहानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, बंतलाब	0191–2592071	gcbtb@crpf.gov.in

15 <u>सामान्य अनुदेश :–</u>

i) नियुक्ति होने पर अभ्यर्थी सभी सरकारी अनुदेश/नियम के साथ–साथ के.रि.पु.बल अधिनियम 1949 एवं नियम 1955 के तहत शासित होंगे।

ii) शारीरिक दक्षता टैस्ट व यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अभ्यर्थी की चोट/नुकसान आदि के लिए सरकार जिम्मेदार नही होगी।

iii) अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा हेतु लेखन सामग्री (नीला/ब्लैक बाल प्वाईंट पैन एवं कलिप बोर्ड आदि) स्वयं लानी होगी ।

iv) अभ्यर्थी को भर्ती प्रकिया के दौरान अपने रहने/खाने–पीने आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।

v) अभ्यर्थी को भर्ती प्रकिया में अपने स्वयं के खर्चे/जोखिम पर शामिल होना होगा। इसके लिए उन्हे कोई यात्रा–भत्ता देय नही होगा।

vi) सभी पात्र अभ्यर्थियों को भर्ती स्थान व तिथि के बारे में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से सूचित किया जाएगा।

vii) अभ्यर्थियों का नियुक्ति के लिए अंतिम–चयन छाती का एक्सरे, पैथोलोजी टैस्ट व अन्य जरूरी टैस्ट में सफल होने की शर्तो पर होगा ।

viii) नुियक्ति होने पर अभ्यर्थियों को के0रि0पु0बल के प्रशिक्षण केन्द्रों पर निर्धारित बेसिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।

ix) चयन/नियुक्ति के बाद यदि कोई अभ्यर्थी अयोग्य या सच छिपाए जाने की गलती पर पाया जाता है तो उसकी सेवा बिना कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी ।

x) कोई भी अभ्यर्थी भर्ती प्रकिया के दौरान कोई अनुचित साधन प्रयोग करता पाया जाता है या कोई बाहरी दवाब डलवाने का दोषी पाया जाता है तो उसे भर्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा ।

xi) लिखित परीक्षा का परिणाम भर्ती केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर लगाने के साथ–साथ के. रि.पु.बल की वैबसाईट पर भी घोषित किया जाएगा।

xii) केरिपुबल बल के भूतपुर्व कार्मिकों को नया अभ्यार्थी माना जाएगा तथा उनको भूतपुर्व सैनिकों की तरह कोई भी छूट देय नही होगी ।

हस्ता013/7/2010

(कुलबीर सिंह) <u>पुलिस उप महानिरीक्षक(प्रशा0)</u>